न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 87/2024 G.C.M.S. No. 2024/533 दर्ज दिनांक : 26.11.2024

अपीलार्थी:

1. संजय कुमार भाटी, उम्र 53 साल पुत्र स्व. ओमप्रकाश भाटी (माली) निवासी हनुमानजी के मंदिर के पास, निमाज रोड़, जैतारण जिला ब्यावर हाल मुकाम 96, खटीकान कुंआ मार्ग, समता भवन मार्ग, ब्यावर जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सिद्धकंवर भाटी वयस्क पत्नि ओमप्रकाश माली, निवासी 8, नानेश नगर, आशापुरा माता मंदिर के पीछे, उदयपुर रोड़, ब्यावर जिला ब्यावर।
2. अजयकुमार भाटी वयस्क पुत्र ओमप्रकाश माली, निवासी 8, नानेश नगर, आशापुरा माता मंदिर के पीछे, उदयपुर रोड़, ब्यावर जिला ब्यावर।
3. संगीता परिहार वयस्क पुत्री ओमप्रकाश माली पत्नि राजेश कुमार परिहार निवासी महावीर कॉलोनी, जालिया रोड़, ब्यावर जिला ब्यावर।
4. सुनीता सैनी वयस्क पुत्री ओमप्रकाश माली पत्नि पुरूषोतम सैनी, निवासी गुरू आशीष, पीर बाबा के थान के पीछे, अजमेर रोड़ केकड़ी, जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2024 बअनवान सिद्धकंवर भाटी बनाम अजयकुमार भाटी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री अशोक अरोड़ा, श्री ज्योतिकुमार शर्मा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री चुतराराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1
3. शेष रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक: 30.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2024 बअनवान सिद्धकंवर भाटी बनाम अजयकुमार भाटी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट सिद्धकंवर ने अपीलार्थी व अन्य रेस्पोडेंटस के विरूद्ध योग्य अधिन न्यायालय में एक दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया और मुख्य रूप से यह कथन किये कि मौजा ग्राम बिराठिया कलां, पटवार हल्का बिराठिया कलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बर, तहसील रायपुर जिला ब्यावर में खसरा संख्या 386 रकबा 0.5827 हैक्टर, खसरा नम्बर 387/1 रकबा 0.4532 हैक्टर, खसरा नम्बर 402/1 रकबा 0.3237 हैक्टर, खसरा नम्बर 404 रकबा 1.2626 हैक्टर स्थित है, जिसे वादग्रस्त आराजी कहा गया था। योग्य अधिन न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के नाम के सम्मन न्यायालय के माध्यम से कभी नहीं भेजे गये। दिनांक 08.01.2024 को वाद दर्ज करते ही रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजने के आदेश दिये गये और पेशी तारीख दिनांक 12.02.2024 पेशी नियत की गई। पत्रावली मे अपीलार्थी के नाम के जो सम्मन लगे हुए है, उस सम्मन का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उसमे अपीलार्थी का विवरण केवलमात्र संजय कुमार वल्द ओमप्रकाश कौम माली, साकिन ब्यावर तहसील ब्यावर दर्ज है, इसके अतिरिक्त अपीलार्थी का कोई पता दर्ज नहीं हैं, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 01 और कोई नहीं होकर अपीलार्थी की माता है, जिसे अपीलार्थी के पते की पूर्ण जानकारी है। उसके बावजूद अपीलार्थी के पूर्ण पते के सम्मन ही नहीं भरे गये और यही विवरण दर्ज कर पेशी तारीख दिनांक 12.02.2024 की पेशी हेतु सम्मन जारी करना बताया गया जो सम्मन और सम्मन का रजिस्टर्ड लिफाफा कभी भी अपीलार्थी तक नहीं पहुंचा और अपीलार्थी को धामा नहीं गया, जिस बाबत अपीलार्थी ने असिस्ट पोस्टमार्टर ब्यावर से जो रिपोर्ट निकलवायी उस अनुसार उक्त लिफाफा दिनांक 23.03.2024 तक अजमेर आर.एम.एस. में है, उसके बावजूद दिनांक 21.02.2024 को ही अपीलार्थी की तामिल मानकर अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर अपीलाधिन डिक्री पारित कर दी। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा जिस तथाकथित वसीयतनामे के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है, वह सर्वथा ही गलत, अवैध, झूठा, फर्जी, बनावटी व कूटरचित रहा है, तथाकथित वसीयत को उसके निष्पादनकर्ता को निष्पादित करने का कोई अधिकार ही हासिल नहीं था, ना ही ऐसी कोई वसीयत कभी भी अस्तित्व में ही रही हैं। उक्त तथाकथित वसीयत विधिनुसार निष्पादित एवं पंजीकृत भी नहीं हैं। उक्त तथाकथित वसीयत रेस्पोडेंट संख्या 01 एवं अन्य रेस्पोंडेंट्स की मिलीभगत का परिणाम रही हैं। जो कि अपीलार्थी को नाजायज नुकसान पहुंचाते हुए वादग्रस्त आराजियात को येनकेन प्रकारेण हडपने की बदनियति से फर्जी एवं कूटरचित रूप से तैयार की/करवाई गई है। इस कारण ऐसी वसीयत विधि में मान्यता प्राप्त दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आती हैं तथा ऐसी तथाकथित वसीयत के आधार पर रेस्पोंडेंट्स को वादग्रस्त आराजियात में कोई हक अधिकार हासिल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

नहीं होते हैं, ना कानूनन हो ही सकते हैं। उक्त वाद की अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थीं। उक्त वाद की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 25.10.2024 को वादग्रस्त भूमियों के संबंध में हल्का पटवारी से जानकारी चाही गई। तब हल्का पटवारी द्वारा रायपुर राजस्व न्यायालय में प्रकरण में आदेश पारित करने की जानकारी दी गई। इस पर अपीलार्थी ने दिनांक 28.10.2024 को योग्य अधिन न्यायालय में जाकर जानकारी प्राप्त की तथा दिनांक 28.10.2024 को ही प्रमाणित प्रतिलिपियों हेतु आवेदन करते हुए अतिआवश्यक रूप से दिनांक 28.10.2024 को ही प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की। तब उनका अवलोकन करने पर अपीलार्थी को जानकारी हुई कि रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने अपीलार्थी का कोई पता अंकित किये बिना ही मजकूरी/डाकिये से मिलीभगत करते हुए झूठी तामीली की कार्यवाही करवाकर एकतरफा कार्यवाही करवाते हुए एकतरफा में ही निर्णय एवं डिक्री पारित करवा ली है। उक्त जानकारी होते ही अपीलार्थी ने योग्य अधिन न्यायालय में अपना अधिवक्ता नियुक्त कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया जो योग्य अधिन न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 28.10.2024 को प्राप्त होने तथा उनका अवलोकन किये जाने पर अपीलार्थी को प्रथम बार उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने तथा एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने की जानकारी हुई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि उक्त वाद की अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थीं। उक्त वाद की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 25.10.2024 को वादग्रस्त भूमियों के संबंध में हल्का पटवारी से जानकारी चाही गई। तब हल्का पटवारी द्वारा रायपुर राजस्व न्यायालय में प्रकरण में आदेश पारित करने की जानकारी दी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

इस पर अपीलार्थी ने दिनांक 28.10.2024 को योग्य अधिन न्यायालय में जाकर जानकारी प्राप्त की तथा दिनांक 28.10.2024 को ही प्रमाणित प्रतिलिपियों हेतु आवेदन करते हुए अतिआवश्यक रूप से दिनांक 28.10.2024 को ही प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की। तब उनका अवलोकन करने पर अपीलार्थी को जानकारी हुई कि रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने अपीलार्थी का कोई पता अंकित किये बिना ही मजकूरी/डाकिये से मिलीभगत करते हुए झूठी तामीली की कार्यवाही करवाकर एकतरफा कार्यवाही करवाते हुए एकतरफा में ही निर्णय एवं डिक्री पारित करवा ली है। उक्त जानकारी होते ही अपीलार्थी ने योग्य अधिन न्यायालय में अपना अधिवक्ता नियुक्त कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया जो योग्य अधिन न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 28.10.2024 को प्राप्त होने तथा उनका अवलोकन किये जाने पर अपीलार्थी को प्रथम बार उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने तथा एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने की जानकारी हुई। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की गैर मौजूदगी में हुआ है। अतः निर्णय दिनांक से अपीलांट को जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। प्रकरण में गुणावगुण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यमान है। जिसके निर्णयन के लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। विलंब अपीलांट की लापरवाही या उदासीनता से होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2024 को वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.02.2024 नियत की गई तथा प्रतिवादीगण को नोटिस पंजीकृत डाक से प्रेषित किए गए। दिनांक 12.02.2024 की आदेशिका अनुसार अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादीगण को प्रेषित रजिस्टर्ड नोटिस की रसीदें पेश की तथा पत्रावली दिनांक 21.02.2024 को जवाब हेतु नियत की गई। दिनांक 21.02.2024 की आदेशिका अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट व प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 12.08.2024 को वादिया व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया जाना एवं दिनांक 12.08.2024 को ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र स्वीकार किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

5. हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण में अपीलांट सहित 4 प्रतिवादीगण थे तथा अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं शेष प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा इसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय व डिक्री राजीनामा द्वारा निष्पादित निर्णय व डिक्री की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। क्योंकि राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री के लिए सभी पक्षकारान द्वारा राजीनामा निष्पादित किया जाना आवश्यक है। चूंकि अपीलांट प्रतिवादी की ओर से राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ तथा अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। ऐसी स्थिति में वादी के लिए यह आज्ञापक था कि वह अपने वादपत्र को अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध साक्ष्य से साबित करें। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा न तो पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गई एवं न ही वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अतः ऐसी स्थिति में वादपत्र अपीलांट वादी के विरूद्ध साक्ष्य के अभाव में पारित निर्णय व डिक्री की श्रेणी में आता है। जो विधिसंगत नहीं होने से काबिल अपास्त है।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी को प्रेषित रजिस्टर्ड डाक नोटिस सम्यक रूप से तामील हुए या नहीं। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उपडाकपाल रायपुर मारवाड़ की रिपोर्ट एवं डाक विभाग, भारत सरकार द्वारा अपीलांट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत डाक से प्रेषित नोटिस अपूर्ण पता के कारण प्रेषक को पुनः प्रेषित किए गए। जो उपखंड कार्यालय रायपुर को पुनः प्राप्त हुए। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट अप्रार्थी को सम्यक तामील नहीं हुई तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा समुचित तामील के अभाव के बावजूद अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसमें अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य व प्रतिरक्षा का अवसर नहीं मिला। लिहाजा, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल अपास्त है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

बअनवान सिद्धकंवर भाटी बनाम अजयकुमार भाटी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए, विवाद्यक कायम किए जाकर, उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए वादपत्रों के निस्तारण हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 09.03.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner